



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. :- 9-PBB419/2016-CHA

दिनांक: 12 July-2018

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन विभाग, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चंडीगढ़।

विषय: Diversion of 3.9431 ha (3.609 ha in Rupnagar Forest Division + 0.3341 ha (PF 0.0048 ha & PLPA 0.3293 ha) in Nawanshahar at Garhshankar Forest Division) of forest land for widening of Ropar Abiana Nurpur Bedi road from km. 0.00 to 0.510 to 4.10 km (from Ropar Head Works to village Lower Garhbugga), 8.15 to 9.15 (in village Tibba Tapprian) and km. 12.45 to km. 13.875 (from village Madhopur to village Abiana Kulan), under forest division and District Rupnagar and Nawanshahar at Garhshankar, Punjab (Online proposal No. FP/PB/ROAD/21787/2016)-regarding.

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (FC) & नोडल अधिकारी (FCA), पंजाब सरकार वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/313-327/2016/8047 दिनांक 25.11.2016 व अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (FC) & नोडल अधिकारी (FCA), पंजाब सरकार वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/313-327/2016/393 दिनांक 13.06.2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 3.9431 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएंगे।
- User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that "no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division" be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 762 (716 trees in Ropar Division + 46 trees in Nawanshahar Division) से अधिक नहीं होगी।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030

दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- vii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xviii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- ix. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xiii. स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा (अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xv. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xvii. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी।
- xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाये।

5. यह स्वीकृति माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेश संख्या OA 161 व 162/2016 के अंतिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है।

भवदीय

 (सी० डी० सिंह) 12/07/2018
 अ० प्र० मु० वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला Rupnagar, पंजाब।
4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला Nawanshahar at Garhshankar, पंजाब।
5. The Executive Engineer, Construction Division, PWD B&R Branch, Rupnagar, Punjab.

F.R.
Supdt
Assit.
D.A.O.
H.D.M.

1. ਮੁਖ ਦਫਤਰ (Mulla), ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।
2. ਦਫਤਰ ਮਿਸਟਰਿਕ ਸਰਕਲ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।
3. ਦਫਤਰ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ।
4. ਦਫਤਰ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਐਟ ਗੁਰੂਸ਼ਹਿਰ।
5. The Executive Engineer, Construction Division, PWD B & R Branch, Rupnagar, Punjab.

Nodal Officer (FCA)
& Chief Conservator of Forests,
Punjab, S.A.S. Nagar.

ਪਿੰਡ ਨੰ. ੧: ੫੫੩੮-੩੯ . ਮਿਤੀ 6-8, 2018

[illegible]

ਪਿੱਠ ਐਂਕਟ ਨੰ: FCA/2018/ 3200 - 3201

ਮਿਤੀ: 23/7/2018.

ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -

- 1) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ. ਐੱਡ ਆਰ. ਬੀ. ਆਰ.), ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰ: 2 ਦੇ ਭਾਗ i-v ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 4,25,099.22 ਰੁਪਏ, ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਂਟ ਵੈਲਿਯੂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 2,96,346.70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 7,21,445.92 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਸੀਦ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਮਾਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- 2) ਵਣ ਰੋਜ ਅਫਸਰ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਐਂਟ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ।

24/7/

Compensatory Afforestation & Penal Comp. Aff. Scheme with 10 years mtc. for Diversion of 3.609 Hectare of forest land in favour of Punjab PWD B&R for Widening of Ropar Abiana Nurpur Bedi Road from Km 0.510 to 4.10 Km (from Ropar Head Works to village lower Garhbagga), 8.15 to Km 9.15 (in village Tibba Tapprian) and Km 12.45 to Km 13.875 (from village Madhopur to village Abiana Kalan) under Rupnagar Forest Division & Distt Rupnagar (Punjab)

1) Diverted Forest Area = 3.609 Ha.

4) Site of Compensatory Afforestation = Khatana Forest

2) Comp. Aff. Scheme Area = 7.218 Ha.

3) Nos. of plants will be planted = 7218 Nos.

Wage Rate : Rs. 328

Plants Per Hectare : 1000 Nos.

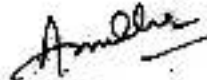
Plantation Model For Standard Plantation under Compensatory Afforestation

Sr. No.	Name of Work	Unit	Qty.	Unit Cost (In Rs.)	Amount
	Nursery				
1	Nursery cost of raising plants	1100	1100	20.00	22000.00
A	Soil Work				
1	Site / Jungle Clearance (25%)	Ha.	0.5	5367.22	2683.61
2	Alignment & Dagbaling	Ha.	1	984.00	984.00
3	Earth works in Digging of Pits 1000 x 0.5 m x 0.5 m x 0.4 m	1 M3	100	101.38	10138.00
5	Kana Stubbing 25%	Ha.	0.25	26836.00	6709.00
B	Plantation Work				
1	Refilling of Pits 1000x0.5mx0.5mx0.3	100 cum	75	2747.00	2060.25
2	Loading & Unloading of Plants (1000+10% Wastage=1100)	100 No.	1100	550.00	6050.00
3	Carriage of Plants (1000+10% wastage =1100 avg. distance upto 10 km)	100 No.	1100	196.80	2164.80
4	i) Carriage from site to site	100 No.	1000	131.20	13120.00
	ii) Planting of Plants (1000 No. including 10% replacement)	100 No.	1000	984.00	9840.00
5	Spot Irrigation (1000 Plants)	100 No.	1000	205.00	2050.00
6	Application of Insecticide (2 Times)	100 No.	1000	41.00	410.00
7	Application of Fertilizers (2 Times)	100 No.	1000	41.00	410.00
8	Weeding & Hoeling 3 Times	100 No.	3000	357.52	10725.60
9	Hand Watering (12 Times)	100 No.	12000	205.00	24600.00
10	Replanting of Plants 10%	100 No.	100	579.11	579.11
11	Rejungle Clearance (2 Times)	Per Ha	1	2378.00	2378.00
12	Covering (25% plants) of plants	100 No.	250	295.20	738.00
13	Uncovering of plants	100 No.	250	32.80	82.00
14	Restubbing of Kana (1 Time)		0.25	26836.30	6709.08

15	Laying out & fixing of Barbed Wire	L/s			7872.00
16	Watch & Ward for every 10 Ha. (7 Months)	Man Year	1 Man 7 Month	8528.00	5969.60
17	Material				
	i) Insecticides / Fertilizers	L/s			5000.00
	ii) POL	L/s			5000.00
	iii) Barbed Wire	L/s			50000.00
	Sub Total				186465.05
	Maintenance 1 Year				
1	Cost of raising plants for 30% replacement	1 No.	300	20.00	6000.00
2	Reopening of Pits 300 x 0.50 x 0.50 x 0.30	1 m3	21.6	59.63	1341.68
3	Refilling of pits with earth in other soils 300 x 0.50 x 0.50 x 0.30	1 m3	21.6	27.47	618.08
4	Loading & Unloading of Plants	1 No.	300	2.46	738.00
5	Carriage of Plants (300+10% Wastage = 330 avg. distance upto 10	100 No.	1	196.20	196.20
6	Spreading of plants pit to pit	100 No.	165	131.20	216.48
7	Re-Planting to plants	100 No.	165	329.08	542.98
8	Spot Irrigation	100 No.	165	205.00	338.25
9	Weeding & Hoeing (Three)	100 No.	3000	357.52	10725.60
10	Application of Insecticide (2 Times)	100 No.	1000	41.00	410.00
11	Application of Fertilizers (2 Times)	100 No.	1000	41.00	410.00
12	Hand Watering (6 Times)	100 No.	6000	357.52	21451.20
13	Rejungle Clearance (2 Times)	Per Ha.	1	2378.00	2378.00
14	Restubbing of Kana	Per Ha.	0.25	26836.00	6709.00
15	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Months)	Man Year	1/10 Man Yr	8528.00	5969.60
16	Repair of Barbed Wire	L/s			5000.00
17	POL & Machinery	L/s			5000.00
18	Material and Supply	L/s			5000.00
	Sub Total				73045.06
	2nd Year Maintenance				
1	Cost of raising plants for 15% replacement	1 No.	150	20.00	3000.00
2	Reopening of Pits 150 x 0.50 x 0.50 x 0.40	1 m3	21.6	59.63	644.00
3	Refilling of pits with earth in other soils 150x 0.60 x 0.60 x 0.40	1 m3	21.6	27.47	296.68
4	Loading & Unloading of Plants	1 No.	75	2.46	184.50

	4th Year Maintenance				
1	Cost of raising plants for 5% replacement	1 No.	50	20.00	1000.00
2	Reopening of Pits 50 x 0.50 x 0.50 x 0.40	1 m3	5	5963.00	429.34
3	Refilling of pits with earth in other soils 100 x 0.50 x 0.50 x 0.30	1 m3	3.75	27.47	197.78
4	Loading & Unloading of Plants	1 No.	50	2.46	123.00
5	Carriage of Plants 50 avg. distance upto 10 Km.)	100 No.	50	1.00	50.00
6	Spreading of plants pit to pit	100 No.	50	131.20	65.60
7	Re-Planting to plants	100 No.	50	229.09	114.54
8	Spot Irrigation	100 No.	50	205.00	102.50
9	Weeding & Hoeing (thrice)	100 No.	2000	357.52	715.04
10	Hand Watering (8 Times)	100 No.	4000	205.00	8200.00
11	Pruning to Plants 30%	100 No.	300	387.61	1162.83
12	Watch & Ward for every 10 Ha.	Man Year	1/10 Man Yr	8528.00	5969.60
13	Repair of Barbed Wire	L/s			5000.00
14	POL & Machinery	L/s			5000.00
15	Material and Supply	L/s			5000.00
	Sub Total				39565.59
	5th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Months)	Man Year	1/10 Man Yr	8528.00	5969.60
	Sub Total				5969.60
	6th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Months)	Man Year	1/10 Man Yr	8528.00	5969.60
	Sub Total				5969.60
	7th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Months)	Man Year	1/10 Man Yr	8528.00	5969.60
	Sub Total				5969.60
	8th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Months)	Man Year	1/10 Man Yr	8528.00	5969.60
	Sub Total				5969.60

	9th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Motnts)	Man Year	1/10 Man Yr.	8528.00	5969.60
	Sub Total				5969.60
	10th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha. (10 Motnts)	Man Year	1/10 Man Yr.	8528.00	5969.60
	Sub Total				5969.60
	Total				423457.89
	Over Head expenses 5%				21172.89
	Wage Enhancement @ 10%				42345.79
	G. Total				486976.58
	Or Say (Per Ha.)				486977
	Comp. Aff. Scheme for	486977 x 7.218 Ha.			3515000.00
	Net Present Value of diverted forest land	887000 x 3.609 Ha.			3201183.00
	Grand Total				6716183.00


 Divisional Forest Officer, O/C
 Rupnagar. 